




उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)

दिना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
29/02	212 RTA	छट्टा	दंडा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
जगदीश	बनाम	रामस्वरूप	

वकील :- भकर सिंह जोशी

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
28/6/21	<p>अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 20/7/21 को पेश हो।</p> <p align="right">  उपखण्ड अधिकारी छबड़ा, जिला बारा (राज.) </p>	
20/7/21	<p>उपखण्ड अधिकारी के अन्य कार्य में बाधा होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 25/8/21 को पेश हो।</p> <p align="center">  न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा) </p>	
25/8/21	<p>पत्रावली पेश हुई। कमील भाषी उपस्थित। प्रतिवादी गणों के बरत तामील सम्मन प्राप्त। प्रतिवादी गणों 1-6 को केर से श्री मुकेश शर्मा एडवो. द्वारा भाउर टैकिंग पेश की है। जवाब हेतु सम्मन जारी है बरते पत्रावली बकालत नाम पत्रावली दिनांक 6/10/21 को पेश हो।</p>	<p align="right">  1/10/21 मुकुंद </p>
10/11/21	<p>प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 शिबिर... पर पत्रावली पेश हुई। प्रशासन उपस्थित/अनुपस्थित। कार्यवाही नहीं हो सकी। पूर्ववत् पत्रावली न्यायालय में दिनांक 4/11/21 को पेश हो।</p>	

18⁷/₂₃

पत्रावली MRC केसों के बाड पूर्वत स्थिति ट काज
 पेश हुई। वकील पार्थी उपस्थित। नामालूम न
 कल-कलकर तीस बार कावाज पुनरवाई गई। पेश
 उपस्थित नहीं हुआ। प्रकरण कासक दायिरी काक
 परकी खारिज किया जाव, ही पत्रावली फ़ैसल
 मुकार होकर साखिल सुनर हो।

10